न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी मंगलाराम पूनिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 05 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
लाडूराम पुत्र धीमाराम जाति विश्नोई निवासी राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. कालूराम पुत्र धीमाराम 2. बाबूराम पुत्र धीमाराम जाति विश्नोई निवासी राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 3. शाखा प्रबन्धक एस बी आई शाखा गुड़ामालानी 4. तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 44 / 2021 बअनवान कालूराम बनाम लाडूराम में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 6.10.2023 के विरूद्ध पेष हुई।

1. वकील श्री पूनाराम विश्नोई अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री रोशनलाल रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—23.02.2024

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस एवं उतरदाता संख्या 01 व 02 की संयुक्त, सामलाती कृषि भूमि ग्राम राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियो की ढाणी पटवार मण्डल गुड़ामालानी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1657 / 1 रकबा 2.7195 हैक्टयर का अवस्थित है। उतरदाता

23.2.25
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संख्या 01 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 व 02 के उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि आई हुई है जिसमें वादी का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 01 व 02 प्रत्येक का संयुक्त 1/3–1/3 हिस्सा खातेदारी अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय जल्दबाजी में आकर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना निर्णय कर डिक्री पारित कर विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार गुड़ामालानी से तलब करने का आदेश पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी कानूनी एवं तथ्यों की भूल की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट व उतरदातागण जबावदावा में संलग्न परिशिष्ट'अ' के अनुसार विगत 20 वर्षों से अधिक समय से काश्त कर रहे है तथा परिशिष्ट'अ' के अनुसार ही काबिज काश्त है तथा अपने अपने खण्ड/पाना में रहवासीय ढाणीया, चाराबवाड़े व पानी के टांके बने हुये है। वादी, प्रतिवादी संख्या 2 के द्वारा अपने अपने बंट/खण्ड में ईटों का भट्टा बनाकर खेत बंजर बना दिया गया है, वह भूमि वर्तमान में बंजर भूमि होने के कारण उतरदातागण ने अपीलांट के कब्जा काश्त व बंट की भूमि हड़पने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलांट की प्रतिप–वाद को अविधिक रूप से खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायायल द्वारा अपीलांट को अपनी शहादत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व

23.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

डिक्री पारित करते वक्त कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करके पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। हिस्सों को लेकर अपीलांट द्वारा किसी भी प्रकार का उजर पेश नहीं किया गया। राजस्व रिकॉर्ड में अपीलांटस के नाम से दर्ज हिस्से से अधिक भूमि सड़क मार्ग पर प्राप्त करने की नियत से तथा अपीलांटस द्वारा हस्तगत प्रकरण को अनावश्यक लंबा करने की नियत से यह अपील पेश की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आराजी में वर्णित समस्त संयुक्त खातेदारों के हिस्सों को खोलते हुए निर्णय पारित किया गया। अपीलाधीन डिक्री में किसी भी प्रकार की कानूनी कमी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अंतिम निर्णय की अपील पेश करने तथा राजस्व मण्डल में स्थगन संबंधी निगरानी पेश करने पर अधिवक्ता से सलाह से जानकारी हुई की डिक्री पर्चा में कब्जा काश्त का अंकन है लेकिन अपीलांट का प्रतिप–वाद खारीज किया। अपीलांट ग्रामीण परिवेश का अनपढ व्यक्ति है जिसे कानून की बारीकियों की जानकारी नहीं होने के कारण विलम्ब हुआ है। अपीलांटस ने जानबुझकर विलम्ब से अपील पेश नहीं की है तथा वास्तविक ज्ञान की तारिख से अपील अन्दर मियाद पेश है। अपील पेश करने में हुआ विलंब सद्भाविक है अतः अपील

23.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अन्दर मियाद शुमार की जावे। अधिवक्ता अपीलांटस ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:—

RJT 2021(1) Page 130

RLW 1997(2) Page 968

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना—पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में पारित की गई जिसकी जानकारी निर्णय की दिनांक से ही अपीलांटस को थी। अपीलांटस द्वारा श्रीमान न्यायालय के समक्ष अंतिम डिक्री की अपील पेश की गई उस वक्त भी अपीलांटस को प्राथमिक डिक्री पारित होने का पूर्ण ज्ञान था उसके बावजूद भी हस्तगत अपील को जानुबझकर देर से पेश की गई। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपील पेश करने में हुई देरी के एक—एक दिन का हिसाब अपीलांट द्वारा नहीं दिया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना—पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अपीलांटगण का धारा 05 का प्रार्थना—पत्र अपीलांटस द्वारा पेश शपथ—पत्र पर विश्वास कर स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांटस को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की बहस सुनने के पश्चात पारित की गई। मातहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में पक्षकारों के राजस्व

23.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

रिकॉर्ड के अनुसार हिस्सों की घोषणा की गई। अपीलांटस द्वारा अपील में वाद के विचारण में प्रक्रियागत कमियों की तरफ ध्यान ज्यादा दिया गया जबकि हस्तगत अपील में अपीलांट द्वारा हिस्से को लेकर कोई आपति नहीं की गई जबकि अपीलाधीन निर्णय से हिस्से की घोषणा की गई है जिसमें कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार पारित की गई। तकनीकी आधार पर वाद में पारित निर्णय को निरस्त किया जाकर वादी/रेस्पोडेंटस को मिले न्याय से वंचित किया जाना विधि सम्मत नहीं है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 44/2021 बअनवान कालूराम बनाम लाडूराम में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.10.2023 को यथावत रखा जाता है।

हि. 23.2.24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 23.02.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हि. 23.2.24

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

डिक्री बसीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी मंगलाराम पूनिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 05 / 2024 / बाड़मेर

अपीलांट	**रेस्पोर्डेटगण**
लाडूराम पुत्र धीमाराम जाति विश्नोई निवासी राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. कालूराम पुत्र धीमाराम 2. बाबूराम पुत्र धीमाराम जाति विश्नोई निवासी राठौड़ों की ढाणी उर्फ मालियों की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर 3. शाखा प्रवन्धक एस बी आई शाखा गुड़ामालानी 4. तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 44 / 2021 बअनवान कालूराम बनाम लाडूराम में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 13.12.2023 के विरूद्ध पेश हुई।

--- 0 ---

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 23 फरवरी 2024 बहाजरी अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई अपीलांट की तरफ से एवं श्री रोशनलाल रेस्पोडेंट की ओर से उपस्थित होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 44 / 2021 बअनवान कालूराम बनाम लाडूराम में पारित निर्णय एवं प्राथमिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

डिक्री दिनांक 06.10.2023 को यथावत रखा जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ————————) रूपये ———————————— अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ———————— अदा करें। बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा बतारीख 23 फरवरी 2024 को जारी किया गया।

23.2.24
(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

23.2.24
(मंगलाराम पूनिया) RAS
राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर